रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1973/माघ 9, 1894
No. 16] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1973/MAGHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January 1973

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1973 as the date with effect from which every dealer in the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland shall be liable to pay tax under the said Act on all sales effected by him in the course of inter-State trade or commerce.

[No. F.28/34/72-ST-I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

सा० का० नि० 31(अ)—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1 मार्च,

1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से नागालण्ड राज्य में कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रत्येक व्यवहारी, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान उसके द्वारा किये गये सब विक्रयों पर उक्त अधिनियम के अधीन कर देने का दायी होगा ।

[सं० फा० 28/34/72-बि०क०-1.]

ORDER

New Delhi, the 29th January 1973

G.S.R. 32 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby specifies the persons mentioned in column (3) of the Schedule hereto annexed as the authorities to whom the dealers in the State of Nagaland described in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule shall make application for registration under the said Act.

SCHEDULE

S. No.	Description of dealer	Description of authority
(1)	(2)	(3)
1.	Dealer having a single place of business in the State.	The authority competent to register him under the general sales tax law of the State if he were liable to be so registered ;
2.	Dealer having more than one place of business in the State.	The authority competent to register him in respect of the principal place of business (by whatever name called) under the general sales tax law of the State if he were liable to be so registered ;
3.	Dealer having no fixed place of business in the State.	The Chief authority appointed under the general sales tax law of the State to administer such law, whether called a Commissioner, Collector or by any other name, or such other officer appointed under that law who may be specified in this behalf by the Chief authority aforesaid.

[No F. 28/34/72 S T II]

O. P. MEHRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

सा०का०नि० 32(अ).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित व्यक्तियों को एतद्द्वारा उन प्राधिकारियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें नागालैण्ड राज्य में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यवहारी, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे ।

अनुसूची

क्रम सं०	व्यवहारी का वर्णन	प्राधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	वह व्यवहारी, जिसका राज्य में कारबार का केवल एक स्थान हो ।	राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी हो ;
2.	वह व्यवहारी, जिसके राज्य में कारबार के एक से अधिक स्थान हो ।	राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन, कारबार के मुख्य स्थान (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए) की बाबत, उसे रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी हो ;
3.	वह व्यवहारी, जिसका राज्य में कारबार का कोई नियत स्थान न हो ।	ऐसी विधि के प्रशासन के लिए राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन नियुक्त मुख्य प्राधिकारी, चाहे वह आयुक्त, कलक्टर या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, या उक्त विधि के अधीन नियुक्त ऐसा अन्य अधिकारी, जो उपर्युक्त मुख्य प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[सं० फा० 28/34/72-वि०क०-II]

ओ०पी० मेहरा, अवर सचिव, ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973